

श्री सूरज मण्डल : भारतखंड के लोगों को कितनी नौकरियां आज मिल रही हैं ? एक आदमी एक ही घोंटी पहनता है और उसी को ओढ़ता है। एक औरत एक ही साड़ी पहनती है और उसी को ओढ़ती है। इस तरह की चीजों के रहते हुए इस देश में अविश्वास प्रस्ताव कोई महत्व नहीं रखता है। भारतखंड के इलाके की बात आज महत्वपूर्ण है इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री खुलकर कहें कि भारतखंड की समस्या या समाधान करेंगे तो हम आपके साथ खुले रूप से समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। इस सदन के समझ यह सम्भवतः तीसरा अथवा चौथा अविश्वास प्रस्ताव है। मुझे पहले वाले प्रस्तावों और वर्तमान प्रस्ताव में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। इस समय इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अतः काफी कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है लेकिन मैं केवल उन्हीं मुद्दों का उत्तर दूंगा जो वास्तविक हैं और जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है।

महोदय, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने केवल वही बात दोहराई है जो कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), वामपंथी दलों ने कही है। पिछले दो वर्षों में उनके पास सिवाय कोई व्यवहारिक बात करने के कुछ भी और कहने तथा कुछ भी कोई बात उठाने के लिए नहीं है। वे बहुत ही व्यावहारिक लोग हैं। जब किसी राज्य विशेष में औद्योगिकीकरण की बात आती है तो उनका बात करने का ढंग ही बदल जाता है। और लोकसभा में आने पर तो उनका रवैया ही अलग होता है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं सदन में केवल उन्हीं कुछ एक सभ्यों को पेज करूंगा जो मेरे ध्यान में आये हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद दोनों चीजें एक दूसरे के अनुरूप हो जायें। हमें उस दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन तब तक संभवतः हमें दोनों के साथ निभानी पड़ेगी।

महोदय, जब हमने उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की थी तो सभी ने यह सोचा था कि इससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस देश में पूर्ण रूप से बेरोजगारी की स्थिति पैदा जायेगी और सभी जगह स्थिति बिगड़ती हुई नजर आयेगी। यह उनकी सोच है। मैं उनकी इस सोच के लिए उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि ऐसा उन अन्य अनेक देशों में भी हुआ है जहां इस प्रक्रिया को अनियंत्रित रूप से अपनाया गया था। ऐसा इस देश में नहीं हुआ है। इस देश में ऐसा नहीं होने दिया गया है। मैं इस सदन में और दूसरे सदन में हर जगह बार-बार कहता रहा हूँ कि यहाँ उदारीकरण का एक मानवीय पक्ष भी है। जब कभी कोई मानवीय समस्या आती है तो हम उसे हल करते हैं, हम उस समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक कदम उठाते हैं। हम केवल उदारीकरण के लिए ही उदारीकरण नहीं करना चाहते हैं। यह तो कतिपय उद्देश्यों के लिए किया गया है।

महोदय, पिछले दो वर्षों के दौरान हमारी सभी नीतियां दो रास्तों पर चल रही हैं। एक तो उदारीकरण है क्योंकि यह जरूरी हो गया था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर चलना आवश्यक हो गया है। हम विश्व से पूरी तरह से अलग नहीं रह सकते हैं। अतः विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता है तथा इसके लिए काफी सारे परिवर्तन एक रिकार्ड अवधि में सुनिश्चित करना अनिवार्य है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा या अल्पमात्र में कुछ भी करने से नहीं चलेगा। अतः हमें उदारीकरण

के लिए व्यापक रूप से कार्य करना होगा। इसके साथ-साथ हमने यह भी देखा है कि इस उदारीकरण की प्रक्रिया के संभावित दुष्परिणामों से प्रभावी ढंग से बचा जाए। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 3 गुना अर्थात् 300 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए कुल परिव्यय 30,000 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि आमतौर पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा जाता। तो फिर यह क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया क्योंकि उदारीकरण के कार्यक्रम में हमेशा यह संभावना रहती है कि कहीं लोगों का रोजगार न छिन जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए।

आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का ऐसा एकमात्र मंत्रालय है जो गरीब लोगों के लिए कुछ धन नियत कर सकता है। कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अन्य सभी मंत्रालय हमेशा अधिक पैसा लेने की दुहाई देते हैं। उनके कार्यक्रम पहले ही सराबोर हो चुके हैं। उनके पास जो पैसा है वह भी कम है या जिन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने लिया है कम से कम उसे देखते हुए तो कम ही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों में कुछ ऐसी बातें भी शामिल की हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को तकलीफ न हो और वे जहाँ रह रहे हैं वहीं ठीक रह सकें। जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को इस वर्ष से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तथा इससे सर्वप्रथम तो बेरोजगारी, शहरीकरण और लोगों का रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में जाने को रोकने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिव्यय में 60 प्रतिशत वृद्धि, शिक्षा में 37.6 प्रतिशत वृद्धि और कृषि में 29.0 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अतः हर समय इन क्षेत्रों में गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं और यही इन क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये क्षेत्र रोजगारोन्मुख क्षेत्र हैं। अब यह दो रास्तों वाली बात हो गई है। यह आशा की जाती है कि इस पूंजीवादी किस्म के सामान्य उदारीकरण कार्यक्रम के जरिए धन ऊपर से नीचे तक पहुंच सके। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिससे 'ट्रिकल डाउन' के इस सिद्धान्त के प्रति विश्वास ही न उठ जाए। हमने कहा है कि उदारीकरण के होते हुए, औद्योगिकीकरण के होते हुए और मक्री स्तर के औद्योगिकीकरण के वास्ते अन्य साधनों जैसे कि आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि एक बाईपास-माडल बनाया जाए। फिर आप लोगों को सीधे पैसा भेजिए, इस तरह ट्रिकल डाउन सिद्धान्त के जरिए नहीं बल्कि लोगों को सीधे दें और इस माडल को हमने अपनाया भी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य देश में यह माडल उपलब्ध है। यह जो माडल हमने बनाया है वह हमारी परिस्थितियों के अनुरूप पूरी तरह से व्यावहारिक माडल है। यह कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है तथा इसके और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए और क्या आवश्यकता है इन सब चीजों के लिए मुझको, आलोचनाओं का स्वागत है।

7.00 म० प०

परन्तु माडल स्वयं ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं के संदर्भ में खग उतरे। (ध्यवधान) महोदय, हमने इस वर्ष 189.3 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया है। यह कैसे संभव हुआ? यदि ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया होता, यदि किसान को उनके उत्पादों

[श्री पी० बी० नरसिंह राव]

की दृष्टि से लाभप्रद मूल्य नहीं दिया गया होता तो यह संभव नहीं होता। मैं तीन या चार क्षेत्रों का उदाहरण दे सकता हूँ। धान की कीमत 1989-90 में 185 रुपये प्रति क्विंटल थी। आज यह 310 रुपये है। मोटे अनाज का मूल्य 165 रुपये से बढ़ाकर 260 रुपये हो गया है और मूग की कीमत 425 रुपये से 700 रुपये हो गयी है। ये सब बढ़ीतरी किसान को मिली है और फिर भी मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं हुई है।

यह कहा जाता है कि जब कभी आप कृषि वस्तुओं के मूल्यों में दो या तीन रुपये की वृद्धि करते हैं तो भी मुद्रास्फीति में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि इससे सभी रिकार्ड टूट जाएंगे। यह नहीं हुआ है। मुद्रास्फीति की दर इस सरकार के सत्ता संभालने के समय अर्थात् 1991 में 16.7 प्रतिशत था। 17 प्रतिशत थी वह अब घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई है।

कुछ माननीय सदस्य : क्या यह मुद्रास्फीति की दर है ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : जी हाँ, यह मुद्रास्फीति की दर है। यह एक ही बात है। इसे वह कुछ भी समझे लेकिन जो 1991 में 17 प्रतिशत था वह आज 5.4 प्रतिशत है। यह बात समझनी चाहिए।

कुछ अन्य देशों में, विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर अल्पनीय है। आपको सुबह और दोपहर की तरह शाम को वस्तु उसी कीमत पर नहीं मिल सकती है। मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि भारतीय किसानों, भारतीय लोगों और सरकार सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

तिलहनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहले हम लगभग 2,500 करोड़ रुपया खाद्य तेलों के आयात पर ही व्यय करते थे, वैसे मुझे सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है लेकिन नजदीक ही है। आज हमें इस आयात की कतई जरूरत नहीं है। यह भी पुनः भारतीय किसान की ही उपलब्धि है। आज वह इससे भी ज्यादा देने की बात करते हैं। उन्होंने पाम तेल बनाने के लिए पाम के बागान लगाने शुरू कर दिए हैं। हम नहीं जानते कि किसान के उत्साह का क्या करें क्योंकि वे बहुत उत्साहित हैं लेकिन मुझे डर है कि इस वृद्धि से कहीं तिलहन का उत्पादन खाद्यान्न के उत्पादन से बाजी न मार जाए। यह संभव है।

अतः अभी भी हमें अपनी फसल प्रणाली का पुनर्नियोजन करने के बारे में इस तरह से सोचना पड़ेगा ताकि पांच वर्ष या दस वर्ष के बाद इससे पहले कि हमें यह पता चले कि क्या हो रहा है हमारी खाद्य की स्थिति बिगड़ न जाए। यह कई अन्य देशों में हुआ है। वे अन्य देशों से खाद्य प्राप्त करते हैं। लेकिन वे अपने देश में कई नकदी फसलें उगाते हैं और फिर कहते हैं कि इससे उन्हें कृषि में अधिक लाभ हो रहा है। अतः 880 मिलियन लोगों वाले देश में इस तरह की बात हो और हमारा खाद्यान्न का उत्पादन गिर जाए तो कोई भी देश हमें नहीं खिला पायेगा।

ये जो नयी कृषि नीति हमने अपनाई है वह पारंपरिक नीति नहीं है। यह जीविका के रूप में कृषि या समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए कृषि की दृष्टि से उस दिशा में नहीं चल रही है जिसमें इस देश का कृषि क्षेत्र अप्रसर है। कृषि के क्षेत्र में कुछ ज्यादा होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए।

इस सब के पीछे उद्देश्य यह है कि आधारभूत विकास को बढ़ाने में मदद मिले, किसानों के निवेश के लिए और लाभप्रद मूल्य देकर तथा कृषि उत्पादों के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक माहौल बनाए अब यह पिछले पांच या दस वर्षों वाली कृषि नहीं रह गई है जहां कीमतें कम करके इसका हल निकाल लिया समझा जाता था और किसान के मन को थोड़ा सा संतुष्ट करके आर्थिक नियंत्रण सम्बन्ध में बहुत अधिक उल्लिखित समझी जाती थी। लेकिन अब अनुसंधान, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, सड़कें, बाजार, भण्डारण और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। वर्षा पर निर्भर खेती को बुनियादी सुविधा प्रदान करने में हम बहुत पीछे हैं लेकिन अब हम इसमें सुधार कर रहे हैं। महोदय मैं हैदराबाद में आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० में और अन्य स्थानों में जहां अनुसंधान चल रहा है स्वयं देखा है कि अब शुष्क-भूमि खेती का दृष्टिकोण ही बदलता जा रहा है। यह देश के लिए अच्छा दायन है और पांच साल बाद हम देखेंगे कि हमने शुष्क-भूमि कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली होगी कि स्वयं हमें आश्चर्य होगा।

मूल्य वर्धित निर्यात योग्य अतिरिक्त उत्पाद पैदा करना भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस देश में किसान इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं सिवाय इस बात के कि जितना अधिक इन्हें विकसित होना चाहिए उतना विकसित यह नहीं है और भरे विचार से हम आगामी वर्षों में इसे विकसित करेंगे।

सहकारी आंदोलन राज्य के नियंत्रण से मुक्त होगा और वास्तव में एक सहकारी उद्यम होने के नाते इसे मदद मिलेगी। फिर भी सरकार उन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को वित्तीय और प्रसार संबंधी मदद देना जारी रखेगी जहां पर सहकारी आन्दोलन कमजोर है अथवा जहां पर इसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हुई है।

नई कृषि नीति के यही कुछ उद्देश्य हैं और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह किस प्रकार भिन्न है और आगामी वर्षों में यह नीति किस प्रकार भिन्न होगी तथा किसान का नजरिया कितना भिन्न होगा और उसका भविष्य भी किस प्रकार भिन्न होगा।

महोदय, उर्वरक नीति की कुछ आलोचना हुई थी। अब मैं विनयपूर्वक यह कहता हूँ कि हमने उर्वरकों के मामले में सर्वाधिक व्यावहारिक नीतिगत रवैया अपनाया है। अचानक, हमने पाया कि इस देश में उत्पादित कुछ उर्वरक विशेषकर डी०ए०पी० आयातित उर्वरक से दो या तीन हजार रुपये प्रति टन महंगे हो गए हैं। यह सच है कि उर्वरक उत्पादन करने वाले कारखानों ने बहुत विरोध किया क्योंकि वे हमारे आयात के कारण घाटा उठा रहे थे और वे आयातित मूल्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। हमने यह किया कि इस कम आयातित मूल्य का पूरा लाभ उठाया। महोदय, इस देश में आज पहली बार हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष के लिए हमारे पास डी०ए०पी० पर्याप्त मात्रा में है तथा हमें और आयात करने की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ भी हमने आयात किया है वह पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त है अतः हमारे किसान इस बारे में निश्चिन्त रहें कि उन्हें यह आयातित मूल्य पर मिलेगा और एम०ओ०पी० के मामले में भी ऐसा ही होगा, इस प्रकार हमने उन्हें 1000 रुपये प्रति टन की राज सहायता दी है, इसलिए जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, 1990 और 1991 में हमें जो चिन्ता थी वह समाप्त हो गई है। इस दौरान, जैसा कि अटल जी ने कहा है, उर्वरक कारखानों के साथ क्या हो रहा है? उन्हें बन्द करना पड़ा है? क्या कभी भी उन्हें पुनः चालू किया जा सकता है? मेरा उत्तर है कि वे बन्द हो चुके हैं और चालू भी हो चुके हैं क्योंकि हमने उनको एकमुश्त सुविधाएं, रियायतें दी हैं इसके फलस्वरूप के लाभकारी हो गए हैं या होने वाले हैं।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

घरेलू उद्योग को चालू रखने के लिए सरकार ने पूंजीगत माल पर अदा किए गए भीमा शुल्क को वापस करने की एक योजना तथा भियादी ऋण पर व्याज में तीन प्रतिशत की रियायत की भी घोषणा की है, महोदय, यह 1 जनवरी 1991 के बाद चालू हुए नए उर्वरक संयंत्रों के लिए बहुत बड़ी रियायत है। सरकार ने आयात के अनुरूप मूल्यों पर घरेलू फास्फेटिक उद्योग को विक्री करने में सक्षम बनाने के लिए हाल ही में घोषणा की है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान स्वदेशी डी०ए०पी० पर 100 रुपए प्रति टन की रियायत दी जाएगी और स्वदेशी काम्प्लैक्स उर्वरकों और एस०एस०पी० के लिए भी इसी अनुपात में रियायत दी जाएगी। आयातित डी०ए०पी० और काम्प्लैक्स उर्वरकों पर ऐसी कोई रियायत उपलब्ध नहीं है। इन रियायतों के कारण बन्द पड़ चुकी पांच टकाइयां—कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, पारादीप फास्फेट, जी०एफ०एस०सी० तथा मंगलौर कीमकला एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड पुनः उत्पादन शुरू कर सकी हैं। मेरे विचार से अभी भी दो कारखाने पूर्ण रूप से उत्पादन शुरू नहीं कर सके हैं लेकिन वे शीघ्र ही उत्पादन करने लगेंगे। कृषि क्षेत्र में यह सब किया गया है।

कृषि मजदूरों के बाद ग्रामीण कारीगरों की संख्या बहुत अधिक है, जो कृषि पर निर्भर हैं, फिर, हथकरघा बुनकर आते हैं। माननीय सदस्य हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति के बारे में जानते होंगे। वे अनेक वर्षों से लगभग भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति चल रही है। अब हमने पहली बार ग्रामीण विकास को भी इससे जोड़ा है। किसी ने भी हथकरघा बुनकरों के संदर्भ में ग्रामीण विकास की परवाह नहीं की हालांकि अधिकांश बुनकर गांवों में रहते हैं।

महोदय, वस्त्र मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से परामर्श करके कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया है और मैं यह कह रहा था जब योजना के तहत एक मंत्रालय के लिए आपके पास 30,000 करोड़ रुपए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ राशि बचा सकते हैं जिनका पहले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कोई सरोकार नहीं रहा है साथ ही इस समय चल रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को शामिल करने के लिए चार नई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जब ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे तब इन लोगों के बारे में कभी भी गौर नहीं किया गया और एक भी बुनकर को इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला और ये मकान उन्हें उपलब्ध ही नहीं किए गए थे। अब हमने उनको ये आवास उपलब्ध कराए हैं इसका परिणाम यह होगा कि गांवों में रह रहे अन्य बन्धुओं के साथ-साथ उन्हें भी अत्यधिक लाभ होगा। हमने पहली बार यह माना है कि यह वर्ग भी ग्रामीण लोगों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ग है और उनकी रोजगार तथा निवास सम्बन्धी जरूरतें आदि सब कुछ अन्य लोगों जितनी ही हैं। इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत करघा रहित बुनकरों को शामिल करना, जवाहर रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेघर हथकरघा बुनकरों को शामिल करना, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देना, जवाहर रोजगार योजना के सहायता से हथकरघा बुनकरों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना—इन चार योजनाओं के तहत तीन वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से 3-27 लाख करघा रहित बुनकरों को करघे, कार्य करने के लिए शंङ और कार्य पूंजी दी जाएगी। ये योजनाएं इस वर्ष से पहली बार शुरू की जा रही हैं।

महोदय, अब मैं खादी को लेता हूँ जो कि गांवों की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम खादी और ग्राम उद्योगों के विकास और उन्नति के प्रति वचनबद्ध हैं। ये उद्योग भी काफी समय से दयनीय स्थिति में हैं। कुछ माह पूर्व अर्थात् तीन या चार महीने पहले, खादी क्षेत्र में अत्यन्त प्रभावी नेताओं का एक शिष्ट मंडल मेरे पास आया और इन साथियों, हमारे मित्रों ने मुझे खादी कामगारों और इस उद्योग की दयनीय स्थिति के बारे में बताया, ये नेता अनेक दशकों से कार्यरत हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन खादी और ग्राम उद्योगों के प्रति अर्पित किया है। इसलिए तीन महीने की अवधि में इस क्षेत्र की क्षमता तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। मैं अपने क्षेत्र में एक निष्ठावान खादी कामगार रहा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, 'आप हम में से एक हैं इसलिए आप ही अध्यक्ष बने।' मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हम तीन महीने के अन्दर पता लगाएंगे कि खादी और ग्राम उद्योगों की क्या कठिनाईयाँ हैं और सरकार अन्य संगठन तथा स्वयं खादी सस्थाएँ इस सम्बन्ध में क्या कर सकती हैं। हमने खादी क्षेत्र के लिए यह सब किया है।

मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री ने अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी रही है और विदेशी मुद्रा भण्डार इत्यादि की स्थिति कैसी रही है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। 21-7-1993 तक अनुमोदित विदेशी इक्विटी निवेश 3.2 बिलियन अमरीकी डालर का रहा था। इसके तहत 1100 मामले हैं। इस प्रकार लाई गई विदेशी इक्विटी की प्रतिपूर्ति भारतीय इक्विटी और भारत के अन्दर तथा विदेशों से लिए ऋण द्वारा की जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत कुल व्यय लगभग 60,000 करोड़ रुपये होगा। अब, दो वर्षों में निवेश 60,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है जबकि सरकारी क्षेत्र के तहत हम गत वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपये अधिक नहीं कर पाए, इससे पता चलता है कि निवेश दर में कितनी तेजी आई है। स्वाभाविक है कि ये सब निवेश एक दिन या एक वर्ष में फलीभूत नहीं होंगे। इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन यह पूरे होंगे क्योंकि यह निवेश ऐसे लोगों ने किया है जो जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं; वे जानते हैं कि भारत में निवेश लाभकारी है। इस बारे में सन्तुष्ट होने के बाद ही वे यहाँ पर आए हैं।

केवल विद्युत परियोजनाओं से ही 4000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता उपलब्ध होगी। प्रस्तावित तेलशोधक कारखानों के कारण प्रति वर्ष 4.5 मिलियन टन शोधन-क्षमता उत्पन्न होगी। इनमें से अधिकांश निवेश मूलभूत ढांचे, गर्वाधिक आवश्यक क्षेत्रों में किया गया है जिसके सम्बन्ध में कुछ समय पहले इसके विपरीत यह कहा गया था कि ये सब दिखावटी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

अब मैं आज राष्ट्रीय जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलु को लेता हूँ यह समाज में अभाव बनाए रखने के संदर्भ में है। जिसकी कमी कुछ समय से हमें प्रभावित कर रही है और हमें एक देश के रूप में इस कठिनाई से निकलना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश का कोई भविष्य नहीं होगा। यह एकदम सही है। हम पहले ही ऐसे लोगों को देख चुके हैं जो स्थिरता नहीं ला सकते; एक या दो वर्ष तक स्थिरता रहनी है, फिर हम ऐसा कुछ करते हैं कि स्थिरता बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हम ऐसी स्थिति ही अर्जित कर रहे हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें यथा संभव उपाय करके इस समस्या से जूझना होगा। इसी वजह से मैं सभी पार्टियों से बार-बार अपील करता रहा हूँ कि यह विकास करने का वक्त है अतः अब समय आ गया है कि हम आगामी तीन, पांच

[श्री पी० धी० नरसिंह राव]

वर्षों तक शांति से रहें। अगर यह देश केवल विकास कार्य में संलग्न रहे तो सम्भवतः इस अवधि के बाद यह देश हर प्रकार से एक शक्तिशाली देश होगा। अनेक अर्थशास्त्रियों और ऐसे अनेक लोगों ने जो कि भविष्य की हर संभावना से भली भांति अवगत हैं ने ही यह कहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पुनः उन्हीं पुराने तर्कों को अपनाने लगे हैं जिन्हे हमें छोड़ना है।

राजनीति में धर्म के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से हम इस सत्र में संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए दो विधेयक पुरः स्थापित कर रहे हैं। अब हम धर्म और राजनीति दोनों चाहते हैं। इस देश में दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस देश में दोनों को मिलाने का सवाल ही नहीं है। दोनों को मिलाना विनाशकारी साबित होगा। मैं सभी पार्टियों को यह कह रहा हूँ। आने वाले समय में धर्म हर पार्टी का ब्रह्मास्त नहीं हो सकता। एक-दो चुनावों तक तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर लोग जान जाएंगे। इसके प्रभाव इतने बुरे होंगे कि हम काफी अवधि तक इस संकट से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। यह एक समुदाय या किसी अन्य के विरुद्ध नहीं कहा जा रहा। इससे तात्पर्य उन राजनैतिक मूल्यों, देश के उन मूल्यों को पुनः स्थापित करना की बात है जो पहले बरकरार थे और जो होने चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं उच्चतम न्यायालय के हाल के विनिर्णय से उद्धृत करना चाहूंगा। मैं इसी मुद्दे पर लोगों से अपील कर रहा हूँ। संभवतः आप इसे पसन्द न करें। आप धर्म को राजनैतिक शास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। हमें इसे छोड़ना है। हर हालत में इसे छोड़ना होगा। जो सदस्य यह सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ तो उन्हें यह प्रश्न स्वयं से ही करना होगा। मैं देश तथा पार्टियों के हित में यह कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता।

श्री नीतीश कुमार : सोम यज्ञ के बारे में क्या कहना है ?

श्री पी० धी० नरसिंह राव : अभी तक किए गए एक अध्ययन के तहत राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के प्रयोग को रोकने के लिए कानूनी उपबन्धों पर विचार करना अब सम्भव प्रतीत हो रहा है। यह बहुत जटिल मामला है। यह कुछ रोकने मात्र का मामला ही नहीं है। क्योंकि संविधान में अनेक स्वतंत्रताएँ दी हुई हैं, इसलिए हम संविधान के तहत किसी स्वतंत्रता का अतिक्रमण संविधान की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी। यह बहुत ही सुन्दर उद्धरण है, मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगा।

‘हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा एक पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने की थी। हमारे राजनैतिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया कि धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, संस्कृति और भाषा की आजादी जो कि लोगों की भावनाओं को उद्देलित करके उन्हें अपने विवेक के इस्तेमाल से दूर कर सकती है उससे खिलवाड़ करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाये जिससे की हम अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। धारा 123 (2) और उपधारा (3) और (3क) को इस उद्देश्य से लागू किया गया, जिससे कि अलगाववादी शक्तियों जैसे धर्म, जाति इत्यादि द्वारा उत्पन्न अविवेकपूर्ण भावनाओं के बुरे प्रभाव को समाप्त किया जा सके इस मुद्दे के मूल में चुनावी प्रक्रिया को सरल और विवेक संगत बनाना ही है। इस प्रक्रिया को असंगत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती धारा 123 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रचार में धर्म, जाति

इत्यादि के प्रयोग की भर्त्सना की गई है” ।

यह उद्धरण उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में से लिया गया है । इसी को आधार मानकर दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं । हमें इनके विस्तार में जाना चाहिए । हम इन पर चर्चा करेंगे और इनको पारित करेंगे । हम इनको पारित करेंगे क्योंकि इसके बाद वास्तव में देश के राजनीतिक भविष्य पर निर्णय हो सकेगा । हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाये हैं क्योंकि पिछले तीन-चार या पांच वर्षों में राजनीति का भ्रष्ट हो गई थी । इस पथ भ्रष्टता को इसके जड़ समूल से नष्ट करना होगा और भारतीय राजनीति को फिर इस के पंथनिरपेक्ष आधारस्तम्भ की ओर वापिस लाना होगा । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान : बहुत डिफिक्टिव है उसमें कास्ट वगैरह भी जोड़ दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : पहले विधेयकों को सदन में प्रस्तुत होने दीजिए ।

दो प्रारूप तैयार किए गए हैं एक मन्दिर न्यास के लिए और दूसरा मस्जिद न्यास के लिए और इस भूमि का चिरस्थायी पट्टा विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के बाद बनाया गया है । उन व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है जोकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यास चलाने के लिए आगे आ सकते हैं या जिन पर विचार किया जा सकता है । इसमें अनेकों परिवर्तन हो सकते हैं । अभी इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । लेकिन आखिरकार सरकार को ही इस न्यास को स्थापित करना है और मैं माननीय सदस्यों से इस मामले पर सुझाव आमंत्रित करता हूं ।

विध्वंस की जांच.....

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री का पद छोड़कर, उस ट्रस्ट के चेयरमैन आप ही बन जाइए ।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : इस ट्रस्ट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो राजनीति में है, उनको यहां से हटा दिया जाए । (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : मस्जिद कहां बनाई जाएगी—बताइएगा ? (व्यवधान)

श्री पी० बी० नरसिंह राव : आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : चन्द्रास्वामी राजनीति में हैं या नहीं, आपके एडवाइजर हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री पी० बी० नरसिंह राव : जो हैं वह नहीं रहेंगे, मैं यह कह रहा हूं । खाली नामों को बंद भी करने से फायदा नहीं है । मैं एक उसूल की बात कह रहा हूं जो एक्टिव पोलिटिक्स में हैं उनको नहीं रहना चाहिए यह उसका उसूल है । इसमें ऐतराज की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, चौकने की क्या बात है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, एक और मुद्दा जो कि चुनावी सुधार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था मैं पूर्ण रूप से (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इब्नाहिम सुलेमान सेट : मस्जिद कहां बनेगी ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे हाथ में नहीं है कहां बनाएगा । पहले ट्रस्ट तो हो जाने दीजिए । मेरा वायदा अच्छी तरह पढ़ लीजिए ।

[अनुवाद]

अटल जी ने चुनावी सुधार के संबंध में जो कुछ कहा उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ । इस संबंध में काफी प्रयास किए जा चुके हैं । लेकिन शायद यह बीच में रुक गए । मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि इन प्रयासों को फिर से आरम्भ किया जाए । 1990 में, इन सब बातों पर विचार करने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के सभी प्रस्ताव, जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1990 में दिए गए प्रस्ताव और संविधान का 70वां (संशोधन) विधेयक 1990, इन सब प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनाव सुधार पर एक विस्तृत एक-मुद्दा प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है । अतः 1990 में इस प्रक्रिया को जहां छोड़ा था वहीं से इसे फिर शुरू किया जा रहा है मैंने विधि मंत्रालय के साथ इन पर चर्चा की है । जैसे कि पहले भी हम ऐसे मामलों में करते आये हैं इन प्रस्तावों पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के विचार आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है । इनमें विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं ।

—उद्देश्यहीन प्रत्याशी को हतोत्साहित करना

—एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक;

—चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाना;

—भ्रष्ट आचरण के दोगी व्यक्तियों के स्वतः अयोग्यता का प्रावधान 1975 से पूर्व की स्थिति को पुनः बहाल करना;

—बहुउद्देशीय गृहचान पत्रों का इस्तेमाल;

—एक राजनैतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार के चुनाव पर किए जाने वाले खर्च को उम्मीदवार के व्यक्तिगत चुनावी खर्च में शामिल किया जाना चाहे वह खर्च किसी ने भी किया हो;

—उपचुनावों को कराने के लिए यह महीने की अवधि निर्धारित करना;

—कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिए जाने पर पाबंदी; और

—चुनाव आयोग के लिए एक अलग सचिवालय की स्थापना का प्रावधान ।

यह कुछ विरोध मुद्दे हैं जिन पर हमें उचित विचार करने के पश्चात् निर्णय लेना है चुनाव सुधारों के बारे में यह स्थिति है । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के बारे में क्या राय है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह पहले ही किया जा रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चुनाव आयोग के बारे में ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, यह किया जा रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं नहीं आपके पास केवल मुख्य चुनाव आयुक्त है । दो और रखिए ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दो और का प्रावधान पहले ही विद्यमान है । इस बारे में आपने क्या करना है ? आपको और कुछ जोड़ना नहीं है आपको केवल यह करना है.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह चुनाव सुधारों से संबंधित है क्योंकि देश में चुनावों में एकरूपता नहीं है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको केवल नियुक्त करना है । बस और कुछ नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कृपया ऐसा कीजिए । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : प्रधान मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपने अभी जिन मुद्दों वा चुनावी सुधारों की सूची के अन्तर्गत उल्लेख किया है उन सभी पर विचार किया जा चुका है और निर्णय लिया जा चुका है । एक को छोड़ कर बाकी सभी निर्णय गोस्वामी समिति द्वारा लिए गए थे । मेरे सहयोगी सोमनाथ जी भी वहाँ मौजूद थे ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम इस पर गौर करेंगे । 1990 में इसे क्यों रोक दिया गया ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई थी । इसे रोका नहीं गया था वास्तव में आवश्यकता मात्र इसे लागू करने की है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : विदेशी मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी सोमालिया में शांति कार्यवाही और त्रायोजनिक इंजनो पर कुछ टिप्पणी की गई थी । त्रायोजनिक इंजन के संबंध में सुबह एक प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जा चुका है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय प्रौद्योगिकी के उपलब्ध न होने के संबंध में हमें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने इंजन हम चाहते हैं उतने उपलब्ध होंगे । आगामी कुछ वर्षों तक हमें इंजन की वजह से अपने पी० एस० एल० वी० इत्यादि की अन्तरिक्ष भेजने के संबंध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वहाँ कठिना नहीं है । लेकिन सवाल यह है कि चूंकि हम प्रौद्योगिकी के मामले में देर-सदेर से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तब हमें प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी । यदि यह उपलब्ध नहीं है तो इसे कहां से उपलब्ध कराया जायेगा या हमें स्वयं इसे विकसित करना होगा । यही निष्कर्ष है और इस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है । रूसी सरकार जोकि हमारी मित्र है, पर कोई और टिप्पणी ठीक नहीं होगी क्योंकि उन्होंने यह स्वेच्छा से नहीं किया है उन्होंने यह दबाव के अन्तर्गत किया है जो पहले ही मौजूद था । अब हम इसे तजरअन्दाज नहीं कर सकते । हम केवल यह कर सकते हैं कि इस मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाए और निश्चित तौर पर मैं यह कहना

[श्री पी० धी० नरसिंह राव]

चाहूंगा कि मैं यह चाहता हूँ कि विचार-विमर्श होने के बाद और सदन का विश्वास प्राप्त किया जाये। विचार-विमर्श के दौरान जो कुछ हुआ और हमारी आज की स्थिति इन सब को आपके समक्ष रखा जाए।

जहां तक शांति बनाये रखने की कार्यवाही का संबंध है जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है भारत की हमेशा यह नीति रही है। जब कभी शांति कार्यवाही की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार यह हमारा दायित्व हो गया है। कल संयुक्तराष्ट्र संघ हमारी तरफ अपना फर्ज निभाएगा, यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करते हैं तब हमारा वह सम्मानित स्थान होगा। यह हमारे हित में होगा। इसी कारण हम सोमालिया में शांति प्रयासों में शामिल हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रूपचन्व पाल (हुगली) : यह हम पर लादा जा रहा है। यह शांति कार्य नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या यह हमारा दायित्व है कि नागरिकों को मारा जाये। (व्यवधान)

श्री पी० धी० नरसिंह राव : महोदय, दूसरा मुद्दा लोकपाल के सम्बन्ध में उठाया गया था जो कि बिलकुल उचित था। लोक सभा में 29-12-89 को लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार ने इसमें संशोधन के लिए अनेक सुझावों पर विचार किया। कार्यवाहियों के प्रकाशन संबंधी प्रावधानों को अस्वीकृत कर दिया गया था और इसमें कुछ अन्य परिवर्तन किए गए थे। तदनन्तर, अगस्त, 1990 में सरकार ने निम्न बातों के संदर्भ में इस विधेयक पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। एक बात यह है कि क्या लोकपाल को की गई शिकायत की परिभाषा को इस तरह से संशोधित किया जाए कि उसमें केवल भ्रष्टाचार की ही बात शामिल न हो बल्कि उसमें लाभ के लिए पद का दुरुपयोग या नुकसान पहुंचाना या कठिनाई पहुंचाना या कुप्रशासन भी शामिल होना चाहिए। क्या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की परिभाषा को इस तरह से व्यापक बनाया जाना चाहिए कि उसमें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के साथ-साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे उच्च अधिकारी को भी शामिल किया जाए। इस सम्बन्ध में गौर किया गया और यही बात महत्वपूर्ण भी है लेकिन सितम्बर, 1990 में यह बात कैसे रुक गई कि इसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में कार्मिक विभाग, सी० बी० सी० और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों को इस विधेयक के तहत लाने के प्रश्न पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। लेकिन इस विधेयक के व्यपगत होने तक उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। महोदय, सरकार पिछले एक वर्ष के दौरान देश में एक ओमबड्समैन (प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला अधिकारी) की संभावना की अच्छी तरह से जांच कर रही है। अब ओमबड्समैन के अवसर काफी व्यापक हैं और शायद इस बात पर विचार करना उचित होगा कि देश में ओमबड्समैन के पद को कानून से और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाय। मैंने एक या दो अधिकारियों को उन कुछ अन्य देशों में भेजा जिनमें ओमबड्समैन के पद मौजूद हैं और इस सम्बन्ध में अनेक देशों के बीच अन्तर है। मुझे इस सम्बन्ध में प्रत्येक देश से पूरी रिपोर्टें मिली हैं और हम एक-दो दिन में इस पर विचार करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करूंगा और वे लोग जो भी तरीका ठीक समझेंगे, वह उसे अपनाया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटनी आदि के द्वारा उद्योगों के पुनर्गठन या उनको बन्द करने के मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करने के सम्बन्ध में एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सबको मालूम है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में एक योजना बनी हुई है, लेकिन यह निषेक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला है और शायद केन्द्र सरकार या राज्य सरकार आवधिक रूप से इसमें शामिल नहीं है। छंटनी के मामले में मैं समझता हूँ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय 5 (ख) के अन्तर्गत समुचित सरकार अर्थात् राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जैसा भी मामला हो कामगारों को हटाये जाने के मामले में पूर्व अनुमति लेती है। इस मामले में पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन उपक्रमों के मामले में जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय 5 (ख) केन्द्रीय सरकार है उन मामलों में सर्वेव राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। अब इस मामले में प्रायद केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भी शायद कोई विचार है। ऐसा तभी होगा जब वे किसी राज्य-विशेष में ही अवस्थित होंगे। यदि इस तरह से कोई कार्रवाई की जानी है तो यह एक अच्छा विचार हो सकता है क्योंकि यह काम पहले ही किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कम-से-कम नियमित परामर्श किया जाए ताकि इसका जो भी परिणाम हो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस बारे में सोचने का अवसर मिले और वे इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाल सकें।

[अनुवाद]

हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, यह एक रचनात्मक विचार है।

श्री नीतीश कुमार : हमें मालूम है कि यह किसका काम है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : मैं श्रमिकों से सम्बन्धित एक मुद्दे के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूँ। प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी के सम्बन्ध में एक विधेयक राज्य सभा में लंबित पड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी का क्या विचार है? क्या वह इस विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी, हाँ। यदि आप अनुमति देंगे, तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। क्योंकि हमारे सारे कानून अंधेरे में पारत किए जाते हैं। अब यह एक नई परम्परा है। यदि सभा इसकी अनुमति देगी, तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

मुझे तीन या चार मामलों पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है। आरखण्ड मुद्दे से संबंधित हमारे मित्र... (व्यवधान)... यह उन स्थानीय आकांक्षाओं में से एक है जिनके साथ भारतीय राजतंत्र को संतुष्ट रहना पड़ा। यह कोई नई बात नहीं है। हर जगह प्रदर्शन हुए हैं। ये मामले उभर कर हमारे सामने आए हैं। इनमें कुछ लोगों की जानें भी जाती हैं और उसके बाद उनका समाधान हो जाता है। इन प्रदर्शनों के कारण बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी है और यदि हम इसको न भाँपे तो... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उत्तरांचल के बारे में भी बोलिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चूंकि यह मामला उठाया गया है, इसलिए मैं इस पर अपनी प्रतिश्रिया व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे समक्ष बोडोलैंड समस्या थी, हमने उसको हल किया है। हमारे समक्ष असम में कर्बी अंगलॉग की समस्या थी, हमने उसको हल किया। दार्जिलिंग में समस्या थी उसको भी हल किया। अतः इसको दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इससे भला होने वाला नहीं है। अतः हमने कुछ कदम उठाए हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया है, वे फलीभूत नहीं हुए हैं। वे कई कारणों से फलीभूत नहीं हुए हैं। जब यह कहा जाता है कि दोनों पक्षों अर्थात् विपक्ष के नेता और मुख्य मंत्री इस मांग के खिलाफ एक साथ हैं, तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि ये मामले दलगत भावनाओं से परे हैं। इसका कारण निश्चित रूप से यही है। अतः केन्द्रीय सरकार को इन मामलों से निपटने के लिए और अधिक सावधान रहना होगा ताकि हम जल्दबाजी में इस समस्या को और न उलझा दें। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र भ्वा (मधुबनी) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पृथक झारखण्ड राज्य बनाए जाने के पक्ष में है। यह बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह भी मानना था कि कभी भारत में कई राष्ट्र शामिल थे।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह से गम्भीर है। सरकार पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि वह इसके प्रति गम्भीर नहीं है। हम महीनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस संबंध में छोटी-छोटी बातों, यहां तक कि नामों पर भी विवाद किया जाना है। नाम भगड़े की जड़ बन गया है और यही इसका बंध कारण है। अतः मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह मामला किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि इस पर निर्णय लिख दे और सभी इसको स्वीकार कर लेंगे। यह आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः मैंने बहुत से कदम उठाए हैं। बिहार सरकार ने हमें जो विधेयक भेजा है सरकार ने उसमें शामिल करने के लिए एक सुझाव भेजा है। बिहार सरकार ने एवः परिषद के बारे में विधेयक भेजा था। हमने यह देखा कि यह पर्याप्त नहीं था। हमने सोचा कि झारखण्ड के लोगों की आकांक्षाओं को कम-से-कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए कुछ क्षेत्रों और कुछ बातों को उसमें और शामिल करना होगा। अतः यह मामला अभी विचाराधीन है। अभी यह एक नाजुक स्थिति में है। इस समय किसी तरफ से कोई आदेश प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह कहने में दुःख हो रहा है कि बिहार में इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं मुख्य मंत्री से बात करूंगा। मैं इस मामले पर बिहार सरकार के साथ बातचीत करूंगा और गृह मंत्रालय भी इस बात को उठाएगा। हम इस मामले को काबू से बाहर नहीं होने देंगे और हम यथाशीघ्र यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी समझौता हुआ था उसके सम्बन्ध में किसी भी मार्ग विशेष को अपनाने की बात हो या उसमें कोई परिवर्तन करने की बात हो अथवा दोनों पक्षों की सहमति से कोई परिवर्तन करने की बात सामने आए उस पर अमल किया जा सके। हम इस सम्बन्ध में गम्भीर हैं और हम इस दुःखद स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र साहू (गढ़वाल) : उत्तरांचल के बारे में क्या किया ?

आपके पास, पास करके बिल भेजा हुआ है।... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : यही तो मैं कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान) ... महोदय, इसी प्रकार ए० एस० डी० सी० अर्थात् असम जिला परिषद।... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : आज उस बिल को बिहार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यह बता दें।

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : महोदय, पिछले दो दिनों के दौरान असम जिला परिषद के बारे में फिर से विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है, जिससे एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मैंने मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है और मेरे अनुरोध पर उन्होंने उच्चतम न्यायालय से अपनी अपील वापस लेने का और इस परिषद विधेयक को पारित करने का निर्णय लिया है।

अब अन्तिम रूप से दो महत्वपूर्ण मामले उठाए गए हैं। एक मामला अनुच्छेद के तहत है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने स्थानीय और क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में तो बात कही है बिहार के बारे में और असम के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तरांचल के बारे में जो राज्य सरकार ने भी सिफारिश की है, असेम्बली ने भी प्रस्ताव पास करके आपको भेजा है, यह बात ठीक है कि हम कोई नो-कांफीडेंस के दौरान उसको कोई सौदे का हिस्सा नहीं बना रहे।

कोई और बना सकता है लेकिन आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : सौदे का हिस्सा कोई नहीं बना रहे हैं।।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तरांचल के बारे में बहाना विधान सभा में प्रस्ताव करके भेजा है, सरकार का क्या विचार है ?

श्री अजित सिंह (बागपत) : प्रधान मंत्री जी, झारखण्ड की बात इन्होंने उठाई क्योंकि विश्वास प्रस्ताव का सवाल है। उत्तरांचल का, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का मामला है तो मेरा यह कहना है कि क्या आप छोटे राज्यों के पक्षधर हैं ? इसके बारे में आपकी क्या राय है ? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : अभी तो मेरी राय छोटे राज्यों के बारे में नहीं है। मैं केवल दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।... (व्यवधान) ... यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत जनजातीय विकास और प्रशासन की पुनरीक्षा करने के लिए प्रत्येक

[श्री पी० बी० नरसिंह राव]

दस वर्ष बाद एक आयोग गठित करना पड़ता है। यह संवैधानिक प्रावधान है। दुख की बात है कि हमने इस सम्बन्ध में केवल एक ही आयोग गठित किया है। उसके बाद हम दूसरा आयोग गठित नहीं कर पाए हैं। कई सदस्यों ने यह बात उठाई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें अब दूसरा आयोग गठित करना चाहिए। मैंने इस सुझाव पर ध्यान दिया है। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

नई आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपाय के लिए विशेषरूप से निजी और सार्वजनिक तथा बहुराष्ट्रीय निगमों में आरक्षण के सम्बन्ध में यह फिर से एकदम महत्वपूर्ण बात है। कानून और संविधान के अनुसार इस समय कोई वायदा करना सम्भव नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम मिल-जुलकर इसका कोई रास्ता ढूँँ और यह देखें कि कैसे हम इस नई स्थिति का नये संदर्भ में सामना कर सकते हैं। हम इस काम को करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इस मामले में इतना आपसे आग्रह है कि पब्लिक अण्डरटैकिंग्स में रिजर्वेशन्स हैं, वह तो आलरेडी हैं, तो जब पब्लिक अण्डरटैकिंग्स प्राइवेट में जा रहे हैं तो रिजर्वेशन आप कम-से-कम करिए। अभी डेसू में परसों हुआ है।

श्री कालका दास (करोलबाग) : प्रधान मंत्री जी, जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है।...

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आपकी समझ में आना चाहिए कि आपकी बात मान्य हो गई है।

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैंने बाद-विवाद में उठाई गई बातों का उत्तर दे दिया है।... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हर्षद और बोफोर्स का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

श्री पी० बी० नरसिंह राव : अन्ततः अटल जी का भाषण अधिकांशतः श्री भारद्वाज जी से प्रभावित किया। मैं पूरी गम्भीरता से यह कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने जो कुछ भी पढ़ कर सुनाया वह मेरे किसी मित्र ने दूसरे व्यक्ति या किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा है। मैं इसे अनुचित समझता हूँ। मैंने भारद्वाज जी से पहले ही पूछ लिया है कि उन्हें इस विशेष मामले में क्या कहना है। मैं इस बात को ठीक नहीं समझता कि किसी भी दल में या दलों के बीच आपस में कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग हो।

मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी कदम उठाए जाने हैं मैं उठाऊंगा।... (व्यवधान)

श्री जसबन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ।